यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधारपर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून** के माह 05/2019 से 06/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री जोगिंदर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक,श्री ललित मोहन सिंह बिष्ट, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 10.07.2020 से 22.07.2020 तक श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः**इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नन्दन सिंह, लेखापरीक्षक,श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आर॰एन॰ यादव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री वी॰पी॰ सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में दिनांक 03/05/2019 से 15/05/2019 तक सम्पादित की गयी थी, जिसमें माह 05/2018 से 04/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** प्रमुख अभियंता कार्यालय प्रशासनिक कार्यालय हैं। जिसका कार्य क्षेत्र उत्तराखंड राज्य हैं। राज्य मे सींच सुविधाओं का विस्तार करना, बाढ़ नियंत्रण व नहरों नलकूपों एवं पंप नहरों का निर्माण व रखरखाव प्रमुख हैं।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों मे बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं।

(`लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2017-18	-	-	904.59	889.58	-	-	-	-
2018-19	-	-	939.29	906.71	-	-	-	-
2019-20	-	-	26.37	23.28	-	-	-	-
2020-21 (till 06/2020)	-	-	12.50	6.14	-	-	-	-

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैं।

(`में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य	बचत
2017-18	शून्य					
2018-19						
2019-20						

(iii)इकाई को बजट आवंटन उत्तराखंड शासन द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **"ए"** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः
--प्रमुखसचिव/सचिव, सिंचाईविभाग, उत्तराखण्डशासन,

-- प्रमुखअभियन्ताएवंविभागाध्यक्ष, सिंचाईविभाग, उत्तराखण्ड

-- मुख्यअभियन्ता, स्तर-1, सिंचाईविभाग

-- मुख्यअभियन्ता, स्तर-2, सिंचाईविभाग

-- अधीक्षणअभियन्ता, सिंचाईकार्यमण्डल

-- अधिशासीअभियन्ता, सिंचाईखण्ड

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियो के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रमुख अभियंता/ विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम,2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (अ)

प्रस्तर-1 दोषपूर्ण योजना क्रियान्वयन के कारण `846.69 लाख का निष्फल व्यय।

Para-378 of Financial Hand Book (Vol-VI) provides that "no work should be commenced in land which has not been duly made over by the responsible civil officers" and Para-174 of Budget manual stipulates that "the execution of large works is takenup without proper approved designs or estimates and even without availability of land results in wastefulexpenditure".

प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय,सिंचाई विभाग,उत्तराखंड देहरादूनके केंद्र पोषित बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम से संबन्धित अभिलेखो की जांच (जुलाई 2020) में पाया कि विभाग द्वारा एक बाढ़ सुरक्षा योजना[1] (**FMP/UK-17)** का निष्पादनसिंचाई खंड, रुड़की के माध्यम से किया जा रहा था। योजना की लागत `3319.49लाख [Central share:`2323.64 लाख(70%) + State share:`995.84लाख(30%)] थी योजना के अंतर्गत 02 उप-योजना सम्मिलित थी जिनकी भौतिक और वित्तीय प्रगति निम्नानुसार थी।

Reference of sanctionFMP/UK-17

Investment Clearance:-

Ganga Flood Control Commission, GoI: File No. 12(1)/44/2/2013-WR dated 31 May 2013./`33.19 crore.

Technical Advisory Commitee approval:

23rd TAC; dated 15 Feb 2014

A/A & E/S GoUK :

Sl. No.	Provision of Scheme			Progress upto 2015-16		Balance	
	Name of Sub-Scheme	Physical	Financial (`in lakh)	Physical	Financial (` in lakh)	Physical	Financial (` in lakh)
1	Flood protection scheme on the right bank of Sonali river from village Ibrahimpur to Rampur (Jadeed) Distt-Haridwar	**STUD-** 34 No.	307.41	34	307.41	0	0
2	Construction of Mariginal bund on both bank of river Sonali from NH-58 (Sonali river bridge) to village Jamalpur Distt-Haridwar	**STUD-** 118 No.	3012.08	78	846.69	40	2165.39
		Toe-wall- 5 Km.		0.954		4.046	
		Bundh- 5 Km.		00		5	
Total			**3319.49**		**1154.10**		**2165.39**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपयोजना-1 को स्वीकृत लागत के अंतर्गत 2015-16 में ही पूर्ण किया गया तथा उप-योजना-2 का निर्माण कार्य वर्ष 2015-16 से बंद है। विभाग द्वारा जून 2020 में उप-योजना-2 को यथास्थिति में बंद किए जाने का निर्णय लिया गया।

[1]जनपद हरिद्वार में सोनाली नदी के दोनों तटों पर बसे ग्रामों (रामपुर, इब्राहिमपुर, सोनालीपुरम, जलालपुर आदि) की 40000 आबादी और 475 हेक्टयर कृषि भूमि की सुरक्षा हेतु रिवर ट्रेनिंग कार्यों (तट बांध एवं स्तड की निर्माण) की योजना।

लेखा परीक्षा द्वारा उपयोजना-2 को बंद किए जाने के कारणो की जांच में पाया कि उप-योजना-2 के अंतर्गत तटबंध निर्माण हेतु 6.56 हेक्टयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक था। संबन्धित खंड द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका (FHB/Vol-VI) के प्रस्तर-378 के प्रावधानों के विरुद्धखण्ड द्वारा योजना हेतु आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किए बिना ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। आगे यह भी पाया कि खंड/विभाग द्वारा DPR के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण का न तो प्रावधान किया गया था और न ही शासन को इस हेतु कोई प्रस्ताव प्रेषित किया गया था। खंड/विभाग द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जाने के बाद भूमि अधिग्रहण हेतु भूमि प्रतिकर का आकलन निम्नवत किया गया था।

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि	भूमि प्रतिकर की लागत	योजना में स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्यो हेतु शेष अवमुक्त होने वाली धनराशि	योजना में प्रतिकर धनराशि के पश्चात FPW हेतु अवशेष धनराशि	टिप्पणी/निष्कर्ष
A	B	C	D= C-B	E
6.56हेक्टयर	`2056.56 lakh (*As per Circle rate of 2015-16*)	`2165.39 lakh	` 108.83 lakh	अवशेष धनराशि में प्रस्तावित कार्यो को पूर्ण किया जाना संभव नहीं।
6.56 हेक्टयर	`10233.60 lakh(*As per Circle rate of 2017-18*)	`2165.39 lakh	(-)`8068.20 lakh	अवमुक्त होने वाली धनराशि `2165.39 lakh के बाद भी भूमि प्रतिकर के भुगतान के लिए `8068.20 lakhकी कमी पड़ती तथा FPW के बारें में सोचा भी नहीं जा सकता।

उपरोक्त दोनों ही परिस्थितियों का आकलन किए जाने के पश्चात खंड/विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि योजना के विरुद्ध भूमि मुआवजा/प्रतिकर भुगतान की जाने वाली धनराशि अवशेष कार्य करने हेतु अवमुक्त होने वाली धनराशि से अधिक है। ऐसी स्थिति में योजना की व्यवहारिक रूप से उचित प्रतीत नहीं लगती है तथा योजना का उद्देश्य भी पूर्ण नहीं होता है। अतः निर्णय लिया गया कि उप-योजना-2 को यथा स्थिति में बंद कर दिया जाये।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा DPR में आवश्यक भूमि का अधिग्रहण का प्रावधान न किए जाने (Lack of planning) तथा वित्तीय प्रावधानों के विरुद्ध भूमि अधिग्रहण के बिना ही निर्माण कार्य पर स्वीकृत लागत `3012.08 लाख के सापेक्ष का `846.69 लाख (28%) व्यय किए जाने के उपरांत उप-योजना को यथा स्थिति में बंद किए जाने के कारण किया गया व्यय पूर्णतः निष्फल रहा।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभागाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की अनुश्रवण समिति और विभागीय अधिकारियों साथ स्थलीय निरीक्षण के उपरांत योजना को बंद करने का निर्णय लिया गया।विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, विभाग द्वारा DPR में आवश्यक भूमि का अधिग्रहण का प्रावधान नही किए जाने तथा वित्तीय प्रावधानों के विरुद्ध भूमि का अधिग्रहण के बिना ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जाने के कारण उप-योजना-2 को यथा स्थिति में बंद करना पड़ा।

अतः बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम की योजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधान सम्मिलित किए बिना ही कार्य आरंभ करने के परिणामस्वरूप योजना को बाद में अव्यवहारिकता की स्थिति बंद किए जाने के कारण `846.69 लाख का निष्फल व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- दो'अ'

प्रस्तर-2: विभिन्न योजनाओं के कार्यों पर`22.04 करोड़ की देनदारियोंका सृजन,`4.90 करोड़ के पूंजीगत परिव्य का राजस्व मद कार्यों पर व्यावर्तन,दो निरीक्षण भवनों के निर्माण कार्यों पर स्वीकृतियों से अधिक `4.77 करोड़ के कार्यादेश निर्गत करना एवं अवमुक्त धनराशि से `91.04 लाख का अधिक भुगतान जैसी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं पर अपर्याप्त एवं अनिर्णायक विभागीय कार्यवाही।

बजट मेनुअल (BudgeManual) उत्तराखण्ड के प्रस्तर-92 एवं 93 के प्रावधान व्यवस्था प्रदान करते है कि प्रत्येक आहरण/वितरण अधिकारी व बजट नियंत्रण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करे कि उसके निपटान (disposal) पर रखी निधियों का भुगतान केवल उन्हीं कार्यमदों पर हो जिनके लिए उन्हें स्वीकृत/उपलब्ध कराया गया था। बजट मेनुअल का प्रस्तर-154 प्रावधानित करता है कि शासकीय प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाला व्यय इन आवश्यक शर्तों द्वारा नियंत्रित होता है कि व्यय सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत धनराशि की सीमा के अधीन हो,व्यय स्थापित वित्तीय नियमों/विनियमों के अधीन हो, व्यय को प्राधिकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मोजूद हो और वह वित्तीय औचित्य के व्यापक एवं सामान्य सिद्धांतों के अधीन किया गया हो। यह भी कि किसी भी प्राधिकारी के त्रुटिपूर्ण व्यय नियंत्रण के परिणामस्वरुप हुए व्ययाधिक्य, व्यय का गलत वर्गीकरण (misclassification), और पर्याप्त स्वीकृति एवं आवंटन बिना किया गया व्यय, एक वित्तीय अनियमितता है।

कार्यालय प्रमुख अभियंता व विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून के वर्ष 2019-20 से संबन्धित अभिलेखोंकीलेखापरीक्षाजांच (जुलाई 2020) मेंयह तथ्य उजागर हुआ था कि अधिशासीअभियंता,सिंचाई खण्ड,काशीपुर केद्वारा अपने पत्रांक स0-2644/सिखका/ई-5 (प्राक्कलन) दिनांक 26-09-2019 के माध्यम से अवगत कराया था कि जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 'महुआखेड़ा गंज' एवं 'मुंडियाकला' स्थानों पर निर्मित निरीक्षण भवनों की देनदारियाँ के भुगतान हेतु `415.81 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है जिसके लिए खंड द्वारा कार्यों की मूल स्वीकृति `119.91 लाख एवं `214.56 लाख के सापेक्ष वर्ष 2015 में क्रमश: `284.85 लाख एवं `448.22 लाख की लागत के पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किए गए थे। हालांकि, लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा उक्त पुनरीक्षित प्राक्कलनों को अक्टूबर 2018 के अन्त में इस टिप्पणी के साथ मूल रूप से वापस कर दिया गया था कि पुनरीक्षित प्राक्कलनों की लागत में अप्रत्याशित बृद्धि के कारणों की जांच करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाय क्योंकि प्रमुख सचिव सिंचाई की अध्यक्षता में दिनांक 17-10-2018 को आहूत विभागीय समीक्षा वैठक के कार्यवृत्त स0-9 में भी इस आशय का उल्लेख किया गया है।

प्रकरण की अग्रेतर जांच में पाया गया था कि सिंचाई खण्ड,काशीपुर से संबन्धित कई वित्तीय अनियमिताओं के मामले विभाग के संज्ञान में थे जिसके लिए विभाग द्वारा उक्त खण्ड में वर्ष 2012-13 से 2017-18 के मध्य अधिशासीअभियंता पद पर कार्यरत रहे श्री राम सकल आर्य को प्रथम-दृष्टया दोषी मानते हुए दिनांक 29-11-2018 को निलम्बित करने के उपरांत विभिन्न योजनाओं/कार्यों पर`22.04 करोड़ की देनदारियोंका सृजन,`4.90 करोड़ के पूंजीगत परिव्य का राजस्व मद कार्यों पर व्यावर्तन,दो निरीक्षण भवनों के निर्माण कार्यों पर प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृतियों से अधिक `4.77 करोड़ के कार्यादेश निर्गत करना एवं अवमुक्त धनराशि से

`91.04 लाख का अधिक भुगतान जैसी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं(सार संलग्नक-1 के अनुसार) के लिए आरोपपत्र दिया गया था।

आरोपों पर निलम्बित अधिकारी श्री राम सकल आर्य द्वारा दिनांक 19-12-2018 को अपने उत्तर शासन को सौंपे, जिस पर असंतुष्टि की दशा में शासन द्वारा विभाग के एक मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) को प्रकरण की विस्तृत जांच (फरवरी 2019) सौंपी गई थी। हालांकि, उक्त जांच रिपोर्ट कार्यालय पत्रावली में उपलब्ध नहीं थी परन्तु शासन की ओर से जांच अधिकारी को प्रेषित पत्र दिनांक 01-01-2020 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त जांच अधिकारी द्वारा अपनी आख्या (अगस्त 2019) में यह उल्लेख किया गया था कि "वित्तीय नियमों का उल्लंघन हुआ है परंतु जानबूझकर नहीं किया गया है"। ततक्रम में शासन द्वारा जांच अधिकारी को निदेशित किया गया था कि उनके द्वारा प्रकरण में स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति क्यों नहीं की गई है अतः प्रकरण की वित्तीय नियमों के आलोक में पुनः परीक्षण करते हुए संस्तुति सहित सुस्पष्टआख्या प्रस्तुत करें। तत्पश्चात, जांच अधिकारी द्वारा पुनः अपनी जांच आख्या (निमन्वत सार के अनुसार) इस कार्यालय के माध्यम से शासन को फरवरी 2020 में प्रेषित की गई थी:

आरोप संख्या एवं उक्त का सार		जांच आख्या का सार
1.	राज्य सैक्टर के अंतर्गत विकासखंड काशीपुर, विधानसभा क्षेत्र बाजपुर में महुयाखेड़ा गंज निरीक्षण भवन में स्वीकृत वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की धनराशि से अधिक कार्य करवाना।	यदपि इन निरीक्षण भवनों के निर्माण में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति से अधिक के कार्य करवाया जाना वित्तीय नियमों व संबन्धित शासनादेशों के उल्लंघन के श्रेणी में आता है परंतु वर्णित परिस्थितियों के दृष्टिगत श्री राम सकल आर्य तत्कालीन अधिशासी अभियंता द्वारा वित्तीय नियमों व संबन्धित शासनादेशों का उल्लंघन जानबूझकर (intentionally)किया जाना प्रतीत नहीं होता है।
2.	राज्य सैक्टर के अंतर्गत विकासखंड काशीपुर, विधानसभा क्षेत्र बाजपुर में मुंडियाकला निरीक्षण भवन में स्वीकृत वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की धनराशि से अधिक कार्य करवाना।	
3.	विभिन्न योजनाओं में आवंटित धनराशियों के सापेक्ष अधिक कार्य कराकर देनदारियाँ का सृजिन।	समान्यतः अनुरक्षण कार्यों को आवंटित धनराशियों के भीतर ही संपादित किया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत सीमित साधनों में कम महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़ा जा सकता है, परन्तु ऐसा न करके प्रतिएक वर्ष निरंतर व्ययाधिक्य करना तत्कालीन अधिशासी अभियंता श्री राम सकल आर्य की लापरवाही को दर्शाता है।
4.	नाबार्ड मद के अन्तर्गत आवंटित धनराशि को राजस्व लेखा के अनुरक्षण मद में व्यय किया जाना।	किसी एक मद में स्वीकृत धनराशि से किसी अन्य मद के कार्यों पर व्यय किया जाना वित्तीय नियमों के प्रतिकूल है, चाहे वह मद विशेष की बचत से ही क्योंन किया गया हो।

लेखा परीक्षा जांच में पाया गया था कि इस जांच रिपोर्ट पर शासन स्तर से अभीतक (जुलाई 2020) कोई निर्णायक कार्यवाही नहीं की गई थीऔर इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा न तो अन्य किसी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी और न ही दोषी ठहराया गया था। यहाँ यह उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है कि श्री राम सकल आर्य (तत्कालीन अधिशासीअभियंता) दिनांक 31-12-2018 को सेवानिवित्र हो गए थे। यह भी कि कई ठेकेदारों को अपनी लम्बित देयताओं के भुगतान हेतु मजबूरन न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है जिसमें अनावश्यक रूप से सभी पक्षों का व्यर्थ नुकसान हो रहा है।

इस प्रकार तथ्य स्पष्टकरते है कि विभाग द्वारा सिंचाई खण्ड-काशीपुर से संबन्धित इन गम्भीर वित्तीय अनियमित्ताओं पर उल्लेखित वित्तीय प्रावधाओं के आलोक में पर्याप्त एवं समय से निर्णायक कार्यवाही नहीं की गई थी क्योंकि सम्पूर्ण प्रकरण के लिए एकमात्र ऐसे पदाधिकारी को दोषी मानकर उसके विरुथ जांच अत्यधिक देरी से तब आरम्भ की गई जब वह एक माह के भीतर सेवानिवर्त होने जा रहा था। जबकि ये वित्तीय अनियमितताएँ इस प्रकार की है कि उसके लिए तत्कालीन अधिशासीअभियंता के साथ-साथ खण्ड के उन सभी संबन्धित सहायक अभियन्ताओं, कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं लेखा संवर्ग के कर्मचारियों को भी दोषी माना जाना चाहिए था जिनके स्तर से स्थापित वित्तीय नियमों के विरुद्ध अधिक लागतों के अनुबंध गठन/ कार्यादेश निर्गत कर कार्य निष्पादित करवाए गए थे अथवा संधर्वित्त व्ययाधिक्य/ व्यावर्तन के देयकों के भुगतान संस्तुतएवं पास किए गए थे।इसके अतिरिक्त, इन वित्तीय अनियमित्ताओं के लिए विभाग के उन्न सभी उच्चाधिकारीयों का दायित्व निर्धारण भी होना चाहिए था जो उक्त परिक्षेत्र के निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण एवं वित्तीय प्रगति के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी थे।

अपर्याप्त एवं अनिर्णायक विभागीय कार्यवाही के इस प्रकरण को लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर प्रमुख अभियंता (विभागाध्यक्ष) कार्यालय द्वारा मात्र यह उत्तर प्रस्तुत किया गया था कि श्री राम सकल आर्यके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शासन स्तर पर प्रचलित है।

अतः विभाग द्वारा सिंचाई खण्ड-काशीपुर के अधीन विभिन्न योजनाओं/ कार्यों पर`22.04 करोड़ की देनदारियोंके सृजन, `4.90 करोड़ के पूंजीगत परिव्य का राजस्व मद कार्यों पर व्यावर्तन, दो निरीक्षण भवनों के निर्माण कार्यों पर प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृतियों से अधिक `4.77 करोड़ के कार्यादेश निर्गत करना एवं अवमुक्त धनराशि से `91.04 लाख के अधिक भुगतान जैसी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं पर की गई अपर्याप्त एवं अनिर्णायक कार्यवाही का यह प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (अ)

प्रस्तर-3: विभागीय सार्थक प्रयासो के अभाव में AIBPकी32 योजनाओं हेतु `77.41 करोड़ केकेंद्रान्श प्राप्त न होने के कारण राज्य सरकार पर `20.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार,`12.55 करोड़ के अनियमित वित्तीय दायित्व के सृजन सहित `38.5 करोड़ के व्ययोपरांत कार्यों का 4 वर्षो से अपूर्ण रहना।

उत्तराखंड शासन द्वारा केंद्र पोषित Accelerated Irrigation Benefit Program (AIBP) के अंतर्गत 33 नयी सिंचाई योजनाओ के निर्माण हेतु `111.89 करोड़ की स्वीकृति प्रदान(जनवरी 2014)की गयीजिसका मुख्य उद्देश्य कुल 8439.30 हेक्टयेर सिंचन क्षमता विकसित करना था।सिंचाई विभाग द्वारा उक्त 33 योजना[2] के सापेक्ष 32 योजना[3] [लागत `97.5 crore (Central share `74.41 crore + State share `20.09 crore)]के वित्त पोषण का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया।

कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय,सिंचाई विभाग,उत्तराखंड देहरादूनके अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (जुलाई 2020) में पाया कि उपरोक्त 32 योजना में से 02 योजना (**AIBP-MI**/*Nail & Bin Tall lift Irrigation scheme in Pauri*) को पूर्ण (व्यय `1.36 करोड़)किया जा चुका है, तथा 30 योजनाएँ `38.50 करोड़ के व्ययोपरांत धनाभाव के कारण 2016-17 से बंद पड़ी है। भारत सरकार द्वारा उक्त 32 योजनाओ पर लेखा परीक्षा तिथि तक Investment Clearance प्रदान न किए जाने के कारण केंद्रान्श की सकल धनराशि (`77.41 करोड़) अवमुक्त नहीं की गयी है।राज्य सरकार द्वारा 32 निर्माणधीन योजनाओ के सापेक्ष सम्पूर्ण राज्यान्श `20.09 करोड़ अवमुक्त किया गया है, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनो से `20.00 करोड़ केंद्रान्श की राशि (*केंद्र की स्वीकृति की प्रत्याशा में*) भी अवमुक्त किया जा चुका है। जांच में यह भी पाया कि अधीनस्थ खण्डो द्वारा अवमुक्त धनराशि से अधिक का कार्य निष्पादित करा कर `12.55 करोड़ के वित्तीय दायित्व का भी सृजन किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा इन 32 योजनाओ पर वर्तमान तक भारत सरकार द्वारा Investment Clearance प्रदान न किए जाने एवं केंद्रान्श न अवमुक्त किए जाने के कारणो की लेखा परीक्षा जांच में पाया था कि राज्य सरकार/विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में विभिन्न पत्रों के माध्यम से निर्गत अनुदेश एवं निर्देश का अनुपालन न किए जाने/स्पष्टीकरण/अभिलेख न प्रस्तुत किए जाने के कारण केंद्रान्श (`77.41 करोड़) अवमुक्त नहीं किया गया।लेखा परीक्षा जांच में यह भी पाया कि, उपरोक्त 32 में से 07 योजनाओ के Investment clearance की सैद्धांतिक सहमति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी थी अवशेष 25 AIBP-MIscheme से संबन्धित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि भारत सरकार ने उक्त 25 योजनाओ के वित्त पोषण की स्वीकृति/सैद्धांतिक

---

[2]शासनादेश के बिन्दु संख्या (viii) के अनुक्रम में जनपद पिथौरागढ़ में विण के रई-चटकेश्वर झील निर्माण की योजना (लागत `14.38 करोड़) को कालांतर में हटा दिया गया।

[3] Accelerated Irrigation Benefit Program-Minor Irrigation (**AIBP-MI/25 Schemes**), AIBP-Extension, Renovation and Modernisation (**AIBP-ERM/2 Schemes**) and Repair Renovation and Restoration of water bodies (**RRR/5 Schemes**)

सहमति प्रदान की गयी थी। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2015 में राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया था कि 25 AIBP-MIschemeके प्रस्ताव को AIBP 2014-15 में शामिल नहीं किया जा सकता है। (***विवरण संलग्नक -1 के अनुसार***)

इस प्रकार स्पष्ट था कि राज्य सरकार/विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेश का अनुपालन न किए जाने/स्पष्टीकरण/अभिलेख न प्रस्तुत किए जाने के न तो Investment Clearance प्रदान किया गया और न ही केंद्रान्श अवमुक्त किया गया था। केंद्रान्श की प्राप्ति न होने के कारण राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनो से केंद्रान्श की राशि अवमुक्त किए जाने (*केंद्र की स्वीकृति की प्रत्याशा में*) के कारण `20.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार पड़ा, 30 योजनाएँ `38.5 करोड़ के व्यय के उपरांत धनाभाव के कारण विगत 4 वर्षो से बंद पड़ी हैतथा विभाग द्वारा `12.55 करोड़ के अनियमित वित्तीय दायित्व का भी सृजन किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभागाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि,विभाग द्वारा वर्ष 2013 से 2016 तक योजनाओ की स्वीकृति हेतु निरंतर प्रयास किया गया। भारत सरकार के पत्र (Letter No. – 6/31/2019/M&A-Dte/Agra/98-101 dated 13 Feburary 2020) में संदर्भित 5 पत्र (*सिवाय पत्र दिनांक 23/07/2016*) इस कार्यालय को तत्समय प्राप्त नहीं हुआ था अतः तत्समय कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकिनिर्माण कार्य 2016-17 से यथास्थिति में बंद है, अधीनस्थ खंडो द्वारा `12.55 करोड़ के वित्तीय दायित्व के सृजन के बावजूद भी विगत लगभग 05 वर्षो (दिनांक 10 अप्रैल 2015 से 27 जनवरी 2020)के दौरान Investment Clearance हेतु विभाग द्वारा भारत सरकार से कोई भी पत्राचार नहीं किया गया। स्पष्ट है कि Investment Clearance एवं केंद्रान्श प्राप्त किए जाने हेतु विभाग द्वारा कोई सार्थक प्रयास नहीं गया। जबकि विभागाध्यक्ष कार्यालय का दायित्व है कि निर्माण में आ रही कठिनाईयो को दूर करने के यथा-संभव प्रयास किया जाए जिससे कि योजना का लाभ जनता/लाभार्थी को मिल सके।विभाग द्वारा भारत सरकार के 05 संदर्भित पत्र के सापेक्ष मात्र 01 पत्र जोकि विभाग को प्राप्त हुआ है उस पर भी वर्तमान तक कार्यवाही लंबित है।

अतः विभागीय सार्थक प्रयासो के अभाव में AIBP-MIकी32 योजनाओं हेतु आवश्यक केंद्रान्श की प्राप्ति न होने के कारण राज्य सरकार पर `20.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार,`12.55 करोड़ के अनियमित वित्तीय दायित्व के सृजन सहित `38.5 करोड़ के व्ययोपरांत निर्माण कार्यों का 04 वर्षो से अपूर्ण रहने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक-1

Abstractof Non-compliance of Observation/instruction of CWC &Ministry of Water Recourses (Letter No. – 6/31/2019/M&A-Dte/Agra/98-101 dated 13 Feburary 2020)

Name of the schemes	Observation/instruction of CWC &Ministry of water recourses.	Department clarification/ Response
Surface minor irrigation schemes (AIBP-MI)	SJC (MI) vide their letter dated **20 Oct 2015**, conveyed that the scheme could not be included under AIBP during 2014-15. It was also mentioned that two shelves of MI schemes i.e. 28 MIS included in 2010-11 & 40MIS included in 2011-12 were ongoing and no proposal for release of fund for these two shelves has been received in ministry up to Jan 2015 and suggested that these schemes may be taken up first for completion and proposal of new shelves of 25 MI schemes may be made part of District Irrigation Plan/State Irrigation Plan.	No further correspondence regarding compliance of these observations is available in Ministry records.
Extension, Renovation and Modernisation (ERM)	**1- ERM of Malan canal system in Pauri:** CE, PMO, CWC had raised some observation regarding furnishing of some clarification /documents vide letter dated **07 March 2016** with a copy endorsed to CE &HoD, irrigation Department.	No further correspondence regarding compliance of these observations is available in Ministry records.
	2- ERM work "Construction of lining of Tumaria-Bahalla and Nakatia feeder" in U S Nagar": CE, PMO, CWC had raised some observation regarding furnishing of some clarification /documents vide letter dated **21 July 2015** with a copy endorsed to CE (Kumaon Region), irrigation Department	
Repair Renovation and Restoration (RRR) of Water Bodies	SJC (MI), MoWR vide his office letter dated **18 July 2016**. Conveyed that RRR of water bodies now being funded under PMKSY(HKKP) and earlier expenditure on these schemes by state Government during 2014-15 cannot be considered as state share and requested that a revised release proposal with balance cost of the project commensurate with the balance physical work may be sent. This was conveyed to CE &HoD, irrigation Department vide letter dated **22 August 2016**.	No further correspondence regarding compliance of these observations is available in Ministry records.

STAN

प्रस्तर1: DPR Preparation पर निष्प्रयोज्य व्यय,₹2.70 करोड़।

किसी निर्माण योजना के क्रियान्वयन हेतु Detailed Project Report (DPR)Preperationएक महत्वपूर्ण कार्य है, उक्त के साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि DPR Preperationके पश्चात कार्य की स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ किया जाए, क्योंकि समय बीतने के साथ निर्माण स्थल की परिस्थितियाँ बदलने, सामग्री एवं श्रम मूल्यों में बदलाव के परिणामस्वरूप DPR अप्रासंगिक हो जाती है।

कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष,सिंचाई विभाग,उत्तराखंड देहरादूनके अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (07/2020) में पाया गया कि,सिंचाई विभाग जो स्वयं एक OrganizedEngineeringDepartment है, जिसके प्रशासनिक नियंत्रण में दो विख्यात संस्थान (**Irrigation Research Institute&IrrigationDesignOrganisation**)होने के बावजूदभी विभाग द्वारा छोटे Water Reservoir/Weir/Barrage की DPR गठन कार्य Hired Consultancy Services के माध्यम से किया जा रहा है। विभाग द्वारा 2014-15 से 2017-18 के दौरान कुल 15 निर्माण कार्य की DPRPreparation हेतु ₹572.24 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी जिसे अधीनस्थ खंडो द्वारा ₹542.24 लाख के व्ययोपरांत पूर्ण किया गया है।

लेखा परीक्षा जांच में पाया कि पूर्ण की गयी 15 DPR मे से मात्र 05 DPR पर निर्माण कार्य हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गयी और अवशेष 10 DPR के सापेक्ष 2 से 3 वर्ष बीतने के उपरांत भी वर्तमान (जुलाई 2020) तक निर्माण हेतु कोई स्वीकृतियाँ निर्गत नहीं की गयी है।विवरण निम्नवत है।

Summary of status of DPR and Expenditure incurred

Year	Details of Sanction		Expenditure incurred (₹inlakh)	No of DPR against which AA& FS had been accorded for Construction work.	No of DPR against which no AA& FS had been accorded for Construction work.	Expenditure Incurred against Column No-*F* (₹inlakh)
	No	Cost (₹inlakh)				
A	***B***	***C***	***D***	***E***	***F***	***G***
2014-15	01	71.97	58.39	01	00	00
2015-16	02	129.88	126.68	01	00	00
2016-17	02	54.56	48.78	01	01	21.37
2017-18	10	315.93	308.93	01	09	248.57
Total	**15**	**572.34**	**542.78**	**04**	**10**	**269.94**

उपरोक्त 10 DPR जिसके Preparation पर कुल ₹269.94 लाख का व्यय किया गया है, को विगत 2 से 3 वर्ष बीतने के उपरांत भी वर्तमान (जुलाई 2020) तक निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति न प्राप्त किए जाने के कारण उक्त पर किया गया व्यय ₹2.70 करोड़ निष्प्रयोज्य (Idle) सिद्ध होता है।

प्रकरण लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभागाध्यक्ष द्वारा तथ्यो के स्वीकार करते हुए अवगत कराया गया कि,High Dam के DPR निर्माण का कार्य जो अति विशिष्ट तकनीकी कार्यो से संबन्धित होता है एवं जिसमे अभियांत्रिकी भूगर्भीय विशेषज्ञो की आवश्यकता होती है के कार्य ही Consultancy के माध्यम से कराएं जाते हैं। विभाग द्वारा उपरोक्त इंगित 10 DPR के सापेक्ष 9 DPR के संबंध में अवगत कराया कि, 08 DPR को स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित की गयी है, जिन पर शासन द्वारा राज्य के सीमित संसाधनो (DPR के अनुसार निर्माण कार्य की लागत ₹439.58 करोड़ है) के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृति हेतु विचाराधीन है, अवशेष 01 DPR (*DPR of multipurpose reservoir at Thal, Pauri*) का विभाग स्तर पर तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है। 01 DPR (*कोसी नदी के वृहद श्रोत संवर्धन कार्य के अंतर्गत झील निर्माण हेतु कौसानी से सुमाल पुल तक सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं DPR तैयार करने की योजना*)की स्वीकृति से अवगत कराया गया है किन्तु स्वीकृति संबंधी कोई भी शासनादेश लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, विभाग को विभागीय बजट/राज्य के वित्तीय संसाधनो के दृष्टिगत ही DPR Preperation का कार्य किया जाना चाहिए जिससे कि DPR को ससमय उपयोग किया जा सके।

अतः 15 DPR मे से 09 DPRPreparation पर कुल ₹269.94 लाख का व्यय किए जाने एवं 2 से 3 वर्ष बीतने के उपरांत भी वर्तमान (जुलाई 2020) तक निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति न प्राप्त किए जाने के कारण उक्त DPR Preparation पर किया गया व्यय निष्प्रयोज्य (Idle) व्यय ₹2.70 करोड़ का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2 : उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के विरुद्धलागत `3.99 लाख की सामग्री क्रय किया जाना।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 का नियम 34 प्रावधानित करता है कि प्रत्येक अवसर पर `25000/- से अधिक तथा `2,50,000/- तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामाग्री का क्रय, विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से गठित समुचित स्तर के तीन सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है। इस क्रय समिति में अनिवार्य रूप से एक सदस्य वित्तीय सेवाओं या लेखापरीक्षा सेवाओं या अधिप्राप्ति क्रय प्रक्रिया में विशेष रूप से प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी/ कर्मचारी होगा, जो अधिप्राप्ति संबंधी प्रक्रियाओं और वित्तीय नियमों पर परामर्श देगा। यह क्रय समिति दरों की युक्तियुक्तता, गुणवत्ता तथा विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए बाज़ार का सर्वेक्षण करेगी और उपयुक्त आपूर्तिकर्ता चिन्हित करेगी। क्रय आदेश की संस्तुति से पूर्व समिति के सदस्य संयुक्त रूप से अधिप्राप्ति नियमावली में उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र अभिलिखित करेंगे।

कार्यालय प्रमुख अभियंता/ विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून के चयनित नमूना माह (08/2019) के अधिप्राप्ति से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा `25000/- से अधिक की सामग्री की अधिप्राप्ति में न्यूनतम तीन आपूर्तिकर्ताओं से कोटेशन तो प्राप्त की गई थी एवं न्यूनतम बोलीदाता को सामग्री क्रय हेतु आदेश निर्गत किए गए थे, किन्तु उक्त क्रय हेतु समिति के गठन एवं उनके द्वारा निर्धारित प्रारूप में अभिलिखित प्रमाण पत्र के साक्ष्य संबन्धित अभिलेखों में नहीं पाये गए। लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच में देखे गए अभिलेखो के सापेक्ष क्रय की गई सामग्री के सापेक्ष व्यय की गई धनराशि का विवरण निमन्वत है:-

क्र॰ सं॰	**सामग्री का विवरण**	**फ़र्म का नाम**	**धनराशि**
01	फोटो स्टेट सामग्री	मै॰ रेंस ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, देहरादून	81481.00
02	लेखन सामग्री	मै॰ दीपक स्टेशनरी मार्ट, देहरादून	92011.00
03	कम्प्युटर आपूर्ति	मै॰ आर डी टेक, देहरादून	225176.00
		कुल योग	**398668.00**

प्रकरण को इंगित किए जाने पर कार्यालय द्वारा उत्तर दिया गया था और साक्ष्य के रूप में वर्ष 2017 (दिनांक 24.08.2017) की क्रय समिति गठन का कार्यालय ज्ञाप उपलब्ध कराया गया हालांकि उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ये क्रय वर्ष 2019 से संबन्धित हैं एवं अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार प्रत्येक क्रय हेतु समिति का गठन किया जाना है। साथ ही इकाई द्वारा समिति के सदस्यों द्वारा निधारित प्रारूप में निर्गत प्रमाण पत्र से संबन्धित कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए।

अतः `3.99 लाख की सामग्री की अनियमित अधिप्राप्ति का यह प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
22/2017-18	--	01,02	---
01/2018-19	--	01	---
05/2019-20	01,02	01	---

विगतनिरीक्षणप्रतिवेदनोंकेअनिस्तारितप्रस्तरोंकीअनुपालनआख्या:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षादल कीटिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
विगतनिरीक्षणप्रतिवेदनोंकेअनिस्तारितप्रस्तरोंकीअनुपालनआख्याइकाईद्वाराउपलब्धनहीकरायीगयी				

भाग-IV

इकाईकेसर्वोत्तमकार्य

---शून्य---

भाग-V

<u>आभार</u>

1.कार्यालयप्रधानमहालेखाकार(लेखापरीक्षा)उत्तराखण्ड,देहरादूनलेखापरीक्षाअवधिमेंअवस्थापनासंबंधीसहयोगस हितमांगेगयेअभिलेखएवंसूचनाएंउपलब्धकरानेहेतुप्रमुख अभियंता/ विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून

तथाउनकेअधिकारियोंएवंकर्मचारियोंकाआभारव्यक्तकरताहै।तथापिलेखापरीक्षामेंनिम्नलिखितअभिलेखप्रस्तुत नहींकियेगये:

(i) शून्य

2. सतत्अनियमितताएं:

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षाअवधिमेंनिम्नलिखितअधिकारियोंद्वाराकार्यालयाध्यक्षकाकार्यभारवहनकियागया

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री आदित्य कुमार दिनकर	प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष	17.03.18- 30.06.19 तक
2.	श्री मुकेश मोहन	प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष	01.07.19 से वर्तमान तक

4. विगतसम्प्रेक्षासेअबतकनिम्नलिखितखण्डीयलेखाधिकारीखण्डसेसम्बद्धरहे।

लघुएवंप्रक्रियात्मकअनियमितताएंजिनकासमाधानलेखापरीक्षास्थलपरनहींहोसकाउन्हेंनमूनालेखापरीक्षाटिप्प णीमेंसम्मिलितकरएकप्रति कार्यालयप्रमुख अभियंता/ विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून कोइसआशयसेप्रेषितकरदीजायेगीकिअनुपालनआख्यापत्रप्राप्तिकेएकमाहकेअन्दरसीधेउपमहालेखाकार/ए॰एम॰ जी॰-I,कार्यालयप्रधानमहालेखाकार(लेखापरीक्षा)-उत्तराखण्ड,महालेखाकारभवन,कौलागढ़, 248195देहरादूनकोप्रेषितकरदीजाए।

वरिष्ठलेखापरीक्षा अधिकारी

ए.एम.जी॰ - I